सं.1-43/2019-प्रशासन-I (एफटीएस सं. 8132956)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) में **सहायक निदेशक (कीटविज्ञान)** के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) में **सहायक निदेशक (कीटविज्ञान)** के पद के भर्ती नियमों आदि की प्रारूप अधिसूचना संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक हितधारक, अपनी आपत्ति/ टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 401-डी विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,नई दिल्ली– 110011 को लिखित रूप में या ई-मेल पते manojkumar.upadhyay29@gov.in और sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

मनोज 14/10/2022

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061640

नई दिल्ली
दिनांक:

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्‍ली, तारीख 2022

सा.का.नि. .... - राष्‍ट्रपति, संविधान के अनुच्‍छेद 309 के परन्‍तुक द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्‍ट्रीय मलेरिया उन्‍मूलन कार्यक्रम, दिल्‍ली (समूह-क) भर्ती नियमावली, 1976, जहाँ तक वह सहायक निदेशक (कीटविज्ञान) के पद से संबंधित है, के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्‍हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्‍वास्‍थ्‍य सेवा महानिदेशालय, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अधीन राष्‍ट्रीय वेक्‍टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) में सहायक निदेशक (कीटविज्ञान) के पद पर की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्‍नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्‍त नाम और प्रांरभ :** - (i) इन नियमों को राष्‍ट्रीय वेक्‍टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, सहायक निदेशक (कीटविज्ञान) सामान्य केंद्रीय सेवा **समूह 'क' (राजपत्रित), अननुसचिवीय** भर्ती नियम, 2022 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्‍या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्‍स में लेवल –** उक्‍त पद की संख्‍या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्‍स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्‍तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्‍ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्‍त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्‍य बातें वे होंगी जो उक्‍त अनुसूची के स्‍तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्‍ट हैं।

4. **निरर्हता –** कोई भी व्‍यक्ति –

   (1): जिसने ऐसे व्‍यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्‍नी जीवित हैं, , या

   (2): जिसने अपने पति विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या अपनी पत्‍नी के जीवित रहते हुए किसी व्‍यक्ति से, उक्‍त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्‍यक्ति और अन्‍य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्‍य आधार हैं तो वह किसी व्‍यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्‍यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्‍हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके

इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (कीटविज्ञान)	02* (दो) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान य केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक स का लेवल-11 – अर्थात् 67700 – 208700/- रुपये	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलिनीय नोट: आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)	अनिवार्य:- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से कीटविज्ञान सहित प्राणि विज्ञान में मास्टर डिग्री 2. चिकित्सीय कीटविज्ञान या मलेरिया विज्ञान या फाइलेरिया विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाने और/ या अनुसंधान और/ या नियंत्रण का 07 वर्षो का अनुभव (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलनीय वांछनीय: 1. कीटविज्ञान में डॉक्टरेट 2. उन्नत चिकित्सीय कीटविज्ञान/ मलेरिया विज्ञान या फाइलेरिया विज्ञान में प्रशिक्षण

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन नत व यक्तियों की मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)

आयु: नहीं अनिवार्य अर्हता: कॉलम 11 में उल्लिखित निर्दिष्ट सीमा तक	दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: उप सहायक निदेशक (कीटविज्ञान), कीटविज्ञानी (सेंट्रल क्रास चेकिंग संगठन, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, सहायक कीटविज्ञानी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में कीटविज्ञान सहित प्राणिविज्ञान में विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारी होने के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में हैं और ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा करते हैं।	1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य 3) उप महानिदेशक, अपर उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 2. समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) 1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय- अध्यक्ष 2) उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ निदेशक (ए एंड वी)- सदस्य 3) निदेशक- एनसीवीबीडीसी- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सं.1-43/2019-प्रशा.I

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार